रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 33637 - 672

दिनांक: 24.9.13

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय : राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने है। कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में आपके ध्यान में निम्नांकित तथ्य लाना चाहता हूँ -

1. राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित पत्र क्रमांक प. 8 (2) (17) निर्वा/2013/3816 दिनांक 16 अगस्त 2013 में सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि -

"........................शिक्षा विभाग के गैर शिक्षण कार्य से जुड़े अधिकारी यथा ब्लॉक लेवल शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक लेवल शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ एवं अन्य अधिकारी जो इनके समकक्ष है को चिह्नित किया जाकर सेक्टर ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने सेक्टर ऑफिसर के रूप में गैर शिक्षण कार्यो से जुड़े राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये हैं। इसके विपरीत अधिकांश स्थानों पर सीधे शिक्षण कार्य से जुड़े अधिकाधिक कॉलेज व्याख्याताओं की ड्यूटी सेक्टर ऑफिसर के रूप में लगाई गई है।

भारत के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा writ petition 856/2004 एवं 1357/2004 के संबंध में दिये गए आदेशों की अनुपालना में पत्र क्रमांक 509/251/2004/JS-1 दिनांक 11-10-2004 में निर्देश दिये थे कि -

"Teachers cannot be assigned any duty in contravention of the direction issued by the election commision of India and violation of ECI directions would be viewed seriously."

पटना हाई कोर्ट ने writ petition 4168/2009 एवं 4374/2009 के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये है कि -

"......as far as possible teachers of schools and universities should be avoided for election duty and they shall be posted only in exceptional circumstances."

सुप्रीम कोर्ट ने civil appeal 5659/2007 के संबंध में टिप्पणी की है कि -

"Education is one of the most important functions of state ....Holding of an election is no doubt of paramount importance but for the said purpose the education of the children cannot be neglected...........The human rights conventions have imposed a duty on the

रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org Email: info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांकः ....

contracting states to set up institutions of higher education which would lead to the conclusion that the citizens thereof should be afforded an effective right to access to them."

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र क्रमांक प. 8 (2) (17) निर्वा/2013/3816 दिनांक 16 अगस्त 2013 में उल्लेखित है कि सेक्टर ऑफिसर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सेक्टर में कार्य करेंगे। इतनी लम्बी अवधि में शिक्षकों द्वारा अपने क्षेत्र में बार बार भ्रमण करने तथा चुनाव संबंधी अन्य दायित्वों को पूरा करने के कारण महाविद्यालय में शिक्षण कार्य पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक साथ अनेक शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण विद्यार्थियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह पूर्व में सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों के भी विपरीत होगा।

2. भारत के चुनाव आयोग के आदेश सं. 464/INST/2009/EPS दिनांक 18 फरवरी 2011 में Bombay High Court द्वारा writ petitions सं. 8052/2009, 8039/2009, 8089/2009 तथा 8111/2009 के संबंध में दिये गए निर्देशों का हवाला दिया गया है कि -

"..........while requisitioning staff, all the organizations should be considered so that <u>some institutions are not picked up selectively</u> ignoring the fact that deployment of large number of staff from a few institutions would likely to result in hardships in the business of such institution."

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं चुनाव आयोग के उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रतीत होता है कि राजस्थान में कई स्थानों पर सेक्टर अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में वर्णित सभी विभागों से non-teacher government officers का समग्र database बनाकर randomize करने के स्थान government colleges को selectively pick किया गया है। एवं कई स्थानों पर सेक्टर अधिकारी के रूप 70-80 प्रतिशत तक महाविद्यालय शिक्षकों की duties लगाई गई है। इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से government colleges में पढ़ाई अत्यन्त गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

इन सब तथ्यों को आपके ध्यान में लाते हुए विश्वास है कि आप दिशा निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेंगे तथा सीधे शिक्षण कार्य से जुड़े महाविद्यालय शिक्षकों को सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी से मुक्त करने के आदेश प्रसारित करवाने का कष्ट करेंगें।

सधन्यवाद

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]